

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2021—आश्विन 2, शक 1943

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम (माता का नाम) चेतना सावन सुखा लिखा गया है। जबकि माता का नाम चेतना सावनसुखा जैन है। यह कि ये दोनों नाम मेरे ही हैं एवं भविष्य में मुझे चेतना सावनसुखा जैन से ही जाना जाए।

पुराना नाम

नया नाम

(चेतना सावन सुखा)

(चेतना सावनसुखा जैन)

पता—म.नं. 7, ललवानी गली,  
सर्वाफ चौक, भोपाल।

(G-535)

#### नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम भूलवश विनय सावन सुखा लिखा गया है। जबकि मेरा नाम विनय कुमार सावनसुखा जैन है। यह कि ये दोनों नाम मेरे ही हैं एवं भविष्य में मुझे विनय कुमार सावनसुखा जैन से ही जाना, जाए।

पुराना नाम

नया नाम

(विनय सावन सुखा)

(विनय कुमार सावनसुखा जैन)

पता—म.नं. 7, ललवानी गली,  
सर्वाफ चौक, भोपाल।

(G-536)

## जाहिर सूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि फर्म SOHANEY BROTHERS, NATIONAL HIGHWAY ROAD, LAKHNADON, DISTRICT-SEONI, M.P. के साझेदार SHRI KUSHAL SHRIVASTAVA S/O SHRI SANJAY SHRIVASTAVA का निधन दिनांक 11 अप्रैल 2021 को होने से पृथक् हो गये हैं। MISS IIA SHRIVASTAVA D/O SHRI SANJAY SHRIVASTAVA EN-2/28, Upant Colony, Char Imli Bhopal, दिनांक 11 अप्रैल 2021 से शामिल हुई हैं।

2. Smt Saroj Sohaney W/o Shri Navin Chand Sohaney दिनांक 01 जुलाई 2021 से पृथक् हो गई हैं।  
Shri Sanjay Shrivastava S/o Late Shri B.M. Shrivastava, दिनांक 01 जुलाई 2021 से शामिल हो गए हैं।

Sohaney Brothers  
**SANJAY SHRIVASTAVA**  
(Partner)  
National Highway Road,  
Lakhnadon, District-Seoni M.P.

(G-537)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर (नगरीय) एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना (म.प्र.)

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष।

यतः कि मोना शुक्ला पुत्री संजय शुक्ला, निवासी मकान नं. 18, सिविल लाइन, कोठी रोड, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है। ऐतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम | : | “ सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट ”   |
| 2. न्यास का पता | : | मकान नं. 18, मंदाकिनी विहार कॉलोनी सिविल लाइन, कोठी रोड सतना, जिला सतना। |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक।   |
| 4. चल सम्पत्ति  | : | 65,000.00/- रुपये।   |

## प्रारूप-5

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष।

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिए मैं, राजेश शाही, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितवद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

राजेश शाही, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

(G-538)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग, देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 27 अगस्त 2021

[पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952, के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.250—रीडर—2021— अध्यक्ष श्री रिंकेश जैन पिता श्री सुरेन्द्र जैन, निवासी—22, विजया रोड, देवास द्वारा इस न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर “श्री शंखेश्वर स्वर्ण जैन विहार धाम ट्रस्ट”, 216, एम. जी. रोड, देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन—पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा—पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रूपये 5/- के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है।

अतः “श्री शंखेश्वर स्वर्ण जैन विहार धाम ट्रस्ट” 216, एम. जी. रोड, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(G-539)

देवास, दिनांक 02 सितम्बर 2021

[पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952, के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.263—रीडर—2021— अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा पिता शिवाजी शर्मा, निवासी 86, कवि कालिदास मार्ग, देवास द्वारा इस न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर “श्री विश्वकर्मा सामाजिक एवं धार्मिक लोक न्यास ट्रस्ट”, चिमनाबाई स्कूल के पास, देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन—पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा—पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रूपये 5/- के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है।

अतः “श्री विश्वकर्मा सामाजिक एवं धार्मिक लोक न्यास” चिमनाबाई स्कूल के पास, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति पेशी दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 02 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(G-540)

देवास, दिनांक 03 सितम्बर 2021

[पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952, के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र. 265—रीडर—2021— अध्यक्ष श्री कृष्णगोपालदासजी महाराज पिता गरुड़दासजी महाराज, निवासी पंचमुखी धाम, नवा कुंआ, ग्राम आगरोद, तहसील व जिला देवास द्वारा इस न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर “ श्री गरुड़दासजी महाराज ध्यान योग साधना एवं सेवा न्यास”, पंचमुखी धाम, नवा कुंआ, ग्राम आगरोद, तहसील व जिला देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन—पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा—पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन की शुल्क राशि रुपये 5/- के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है।

अतः “श्री गरुड़दासजी महाराज, ध्यान योग साधना एवं सेवा न्यास” पंचमुखी धाम, नवा कुंआ, ग्राम आगरोद, तहसील व जिला देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति पेशी दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 03 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

प्रदीप कुमार सोनी, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

(G-541)

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन, मध्यप्रदेश**

रा.प्र.क्र0003—बी—113(1)—2021—22.

(फॉर्म—4)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951, (क्रमांक 30—1951) की धारा—5(2) एवं  
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम—5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास।

चूंकि प्रार्थी “ श्री गोवर्धननाथ जी मन्दिर निज हवेली न्यास खरगोन ” तर्फ प्रबंधक श्री गोकुलदास पिता श्री हीरालाल राद, पता गोवर्धननाथ मन्दिर निज हवेली न्यास, तहसील व जिला खरगोन मध्यप्रदेश व अन्य—6 द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 (क्रमांक 30—1951) की धारा—4(2) के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल—अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन—पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन—पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1.	चल सम्पत्ति	निरंक	निरंक
2.	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक

सत्येन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

(G-542)

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर (म.प्र.)**

जूनी इंदौर, दिनांक 03 सितम्बर 2021

(फॉर्म—चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 (तीस) (95) की धारा—5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम—5 (1) के अन्तर्गत]

क्र. 289 / रीडर—1 / 2021—गायत्री दामोदरदास सिधानिया चेरिटेबल ट्रस्ट, पता—504, प्रेसिडेंट रिजेन्सी, 3 / 5, मनोरमांगंज, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एकट की धारा—4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व—साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. न्यास का नाम व पता | : | गायत्री दामोदरदास सिधानिया चेरिटेबल ट्रस्ट<br>पता—504, प्रेसिडेंट रिजेन्सी, 3/5, मनोरमागंज, इंदौर |
| 2. चल सम्पत्ति        | : | रुपये 11000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार मात्र)  |
| 3. अचल सम्पत्ति       | : | निरंक.  |

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

(G-543)

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, महाराजपुर/नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.)**

महाराजपुर, दिनांक 25 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) अधिनियम 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

श्री सुरेन्द्र कुमार गौतम अध्यक्ष श्रीराम निवास मंदिर श्री मारुति मंदिर

सेवा लोक न्यास ट्रस्ट टटम

जिला छतरपुर (म.प्र.)

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0001—बी—113(1)—2020—21 :—आवेदक श्री सुरेन्द्र कुमार गौतम तनय स्व. श्री श्यामलाल गौतम निवासी टटम द्वारा श्री रामनिवास मंदिर श्री मारुति मंदिर सेवा लोक न्यास ट्रस्ट टटम को लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व—साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास एवं उक्त सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति/दावा पेश करना चाहता है वह इस इस्तहार के (म.प्र.) राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं या अभिभाषक/अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. न्यास का नाम व पता          | : | श्री राम निवास मंदिर श्री मारुती मंदिर सेवा लोक न्यास टटम<br>जिला छतरपुर (म.प्र.).  |
| 2. न्यास की प्रकृति व उद्देश्य | : | धार्मिक प्रकृति एवं उद्देश्य मानव जाति में शान्ति व<br>सद्भाव हेतु प्रचार एवं प्रसार करना.<br>धार्मिक कार्यकर्ता का आयोजन करना.<br>जनकल्याण एवं समाज कल्याणकारी कार्य करना.<br>स्वारथ एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना.<br>न्यास की उन्नति एवं सम्पत्ति की सुरक्षा एवं<br>रखरखाव अन्य धर्मों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धाभाव<br>हेतु प्रसार व प्रचार करना. |
| 3. न्यास का मुख्य कार्यालय     | : | न्यास का मुख्य कार्यालय श्री रामनिवास मंदिर परिसर<br>ग्राम व पोस्ट टटम, जिला छतरपुर (म.प्र.). होगा।   |

**4. कार्यकारी समिति के पदाधिकारी के नाम व पते :-**

अध्यक्ष :— श्री सुरेन्द्र कुमार गौतम आयु 37 वर्ष पुत्र स्व. श्री श्यामलाल गौतम निवासी टटम, जिला छतरपुर (म.प्र.).

उपाध्यक्ष :— श्री सुनील कुमार अग्रवाल आयु 47 वर्ष पुत्र श्री रमाशंकर अग्रवाल निवासी टटम, जिला छतरपुर (म.प्र.).

सचिव :— श्री भगवानदास कठैल आयु 54 वर्ष पुत्र स्व. श्री शंकरलाल कठैल निवासी टटम, जिला छतरपुर (म.प्र.).

कोषाध्यक्ष :— श्री दीनदयाल यादव आयु 52 वर्ष पुत्र श्री मुन्नीलाल यादव निवासी टटम, जिला छतरपुर (म.प्र.).

**5. न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकारी की रीति :— सर्वसम्मति या निर्वाचन द्वारा.**

**6. न्यास के आय के श्रोत : दान, चन्दा एवं अन्य वैध मदों से.**

**7. न्यास/अथवा प्रबंधक को भेजी जाने वाली सूचना का पता :— कण्डिका तीन में सविधान में लेख न्यास के कार्यालय के पते पर.**

आज दिनांक 25 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

विनय द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी।

(G-544)

**न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी सागर, मध्यप्रदेश  
प्रारूप चार नियम 5 (1) देखिए**

[मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1952 का नियम 5 (1) देखिए]

चूंकि श्री चक्रधर प्रसाद ब्रह्मचारी शिष्य श्री श्री 108 श्रीमदभक्तिदयित माधव गोस्वामी जी महाराज निवासी श्री गुरु विरही धाम 352-614-1 भूतेश्वर धाम भगत सिंह वार्ड सागर ने म.प्र. लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोकन्यास की तरह विर्निदिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पवन बारिया, अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या उक्त संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा :—

**अनुसूची**

लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता

न्यास का नाम — श्री गौर गदाधर राधामाधव मंदिर द्रस्ट श्री गुरु विरही धाम सागर (म.प्र.) तह. सागर, जिला सागर.

चल/अचल संपत्ति के व्यैरे :—

नाम वस्तु.....

क्रमांक (1)	समान विवरण (2)	प्रारंभिक स्टॉक (3)	अनुमानित मूल्य (4)
1.	राजमंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु जी विग्रह	1	100000/-
2.	श्री कृष्ण जी विग्रह	1	1,40000
3.	श्री राधाजी विग्रह	1	120,000/-
4.	श्री महाप्रभुजी एवं श्री कृष्ण छोटे विग्रह	3	60000/-

5.	श्री लड्डू गोपाल छोटे विग्रह बड़े विग्रह	1	20000/-
6.	श्री शालिगराम विग्रह	3	5000/-
7.	श्री गौमाता मूर्ति (चांदी)	1	5000/-
8.	श्री गुरु परंपरा चित्र छोटे	7	2000/-
9.	छड़ी चांदी की	1	10000/-
10.	बंशी चांदी की	2	1000/-
11.	बंशी छोटी चांदी की	1	500/-
12.	बंशी सामान्य	2	200/-
13.	लोटा तांबे के मध्यम	3	700/-
14.	सकोरा पीतल का जल विसर्जन पात्र	1	400/-
15.	चौकी लकड़ी की "1X2"	1	500/-
16.	चौकी छोटी "2X1.5" फुट	1	300/-
17.	पलंग सैया छोटा 2X2 फुट	1	500/-
18.	टेबिल बड़ी लकड़ी की 2X2	1	1000/-
19.	स्टूल लकड़ी का 2X2	1	300/-
20.	सिंहासन पीतल का छोटा शालिगराम का	1	1000/-
21.	सिंहासन बड़ा लकड़ी का बड़े श्री विग्रहों का	1	500000/-

योग — 973400/-

समान राजमंदिर में (विवरण)	प्रारंभिक स्टॉक	अन्तिम स्टॉक
22. मुकुट श्री महाप्रभुजी का	1 मोती	1500/-
23. मुकुट श्री राधाकृष्ण	2"	3000/-
24. मुकुट श्री महाप्रभुजी	2	2000/-
25. मुकुट श्री राधाकृष्ण	2+2	4000/-
26. मुकुट श्री महाप्रभु	01 मी. चांदी	2000/-
27. मुकुट श्री राधाकृष्ण	2 मी. चांदी	4000/-
28. मुकुट श्री महाप्रभुजी की राधाकृष्ण छोटे विग्रह	130 ग्राम चांदी पूर्ण देखें	6000/-
29. शंख बड़ा	1	1500/-
30. शंक छोटा	1	800/-
31. गरुड घंटी बड़ी	2	500/-
32. गरुड घंटी छोटी	3	300/-
33. आरती बड़ी	3	600/-
34. आरती छोटी	3	300/-
35. चमर (बालनीलगाय)	2	5000/-
36. मोर पंख चमर	1	1000/-
37. पंखा (हाथ का)	1	300/-
38. पंखा	1	100/-
39. स्टील ग्लास ठाकुरजी	3	120/-
40. जग भोग का	1	150/-
41. पोशाकें	12	60000/-

43.	बिछाई	3	10000/-
44.	परदे	4	5000/-
45.	मरकरी लाइट बड़ी	1	2000/-
46.	अन्य लाइट सामग्री	1	2000/-
47.	सिंहासन लकड़ी चित्रपट रखने का	1	500/-
48.	कड़े हाथ के चांदी के	2	2300/-
49.	कड़े पैर के चांदी के	2	4000/-

योग—118970.00

नाम वस्तु.....

क्रमांक (1)	समान विवरण लकड़ी, लोहा, बिजली सामान (2)	प्रारंभिक स्टॉक (3)	अनुमानित मूल्य (4)
1.	श्री गौर राधा माधव मंदिर भवन	1	19050000/-
2.	तथ्यत लकड़ी के	12	36000/-
3.	टेबिल बड़ी लकड़ी की	1	3000/-
4.	टेबिल छोटी लकड़ी	2	2000/-
5.	स्टूल लकड़ी	5	500/-
6.	कुर्सी	6	3000/-
7.	कुर्सी प्लास्टिक	24	12000/-
8.	पलंग बड़ा लकड़ी का	1	30000/-
9.	पलंग छोटा लकड़ी	1	10000/-
10.	दीवान पलंग पेटी	1	10000/-
11.	अलमारी लोहे की	3	10000/-
12.	झूला लकड़ी का	1	80000/-
13.	नसैनी लोहे की 50 कि.	1	5000/-
14.	स्टूल लोहे का	1	1500/-
15.	फ्रिज	2	20000/-
16.	आर. ओ फ्रिज वाला	1	45000/-
17.	सीलिंग फैन	32	48000/-
18.	दीवाल फैन	5	10000/-
19.	एगजास्ट फैन बड़े	4	12000/-
20.	एगजास्ट फैन छोटा	2	2000/-
21.	ए.सी.	2	50000/-
22.	टी.व्ही. 21 इंच	2	20000/-
23.	एलसीडी 21 इंच	1	20000/-
24.	एलसीडी 50 इंच	1	85000/-
25.	मिक्सी	2	5000/-
26.	गिराइन्डर	1	20000/-
27.	कूलर	3	12000/-

योग—19602000/-

28.	सी.सी.टी.व्ही. केमरा, एल.सी.डी. 14"	8	40000/-
29.	एम्प्लीफायर और माइक	1	20000/-
30.	कार्डिलेस सेट	1	5000/-
31.	साउंड बैटरी माइक	1	11000/-
32.	इन्वर्टर बैटरी सहित	2	30000/-
33.	मीटर थी फेस डोरी	1	10000/-
34.	मीटर सिंगल फेस	1	2000/-
35.	बिजली मोटर 1 हार्स	2	10000/-
36.	मोटर 1.5 हार्स पावर	1	5000/-
			योग — 133000/-

**रसोई के बर्तन आदि**

1.	गैस चूल्हा	2	3000/-
2.	गैस भट्टी	10	20000/-
3.	गैस सिलेन्डर घरेतू	8	25000/-
4.	लोठा स्टील	50	1250/-
5.	डिब्बा स्टील	50	2500/-
6.	थाली मध्यम स्टील	100	5000/-
7.	प्लेट स्टील	50	1250/-
8.	कटोरी	50	500/-
9.	तसला	50	7500/-
10.	चम्मच बड़ी	50	750/-
11.	करछला बड़े स्टील	4	1600/-
12.	बाल्टी	20	3000/-
13.	बाल्टी प्लास्टिक	10	1000/-
14.	कुकर बड़ा 20 ली. एल्यु.	1	4500/-
15.	कुकर मध्यम "10"	1	3000/-
			योग — 79850/-

16.	कुकर छोटे एलु. 03 लि.	2	1000/-
17.	कड़ाही लोहे की	6	12000/-
18.	टंकी स्टील की 50 गुणा 200 50 कि. 200 लीटर	4	10000/-
19.	गंज बड़े 150 कि., 100 लि.	8	15000/-
20.	गंज छोटे 100 कि., 100 ली.	8	—
21.	गंज स्टील 15कि. 200 ली.	4	3000/-
22.	कोपर छोटे एवं बड़े 50 कि. 400 कि.	4	20000/-
23.	कोपर एलयु 20 कि. 100 ली.	2	2000/-
24.	ग्लास स्टील	300	6000/-
25.	टंकी लोहे की	6	3000/-
26.	टंकी पानी की	4	4000/-
27.	केतली बड़ी स्टील की चाय	1	2000/-
			योग — 88000/-

**वस्त्र आदि**

1.	गद्दा फोम	50	30000/-
2.	गद्दा रुई	25	12500/-
3.	रजाई जयपुरी	50	12500/-
4.	कम्बल	50	12500/-
5.	तकिया	50	1250/-
6.	चादर	25	1250/-
7.	कारपेट	9	50000/-
8.	फर्श	10	5000/-
9.	ग्लीचा	1	5000/-
10.	टाटपटी	20	4000/-
11.	पानी का कुंआ पक्का	1	150000/-
बाहरी गेट के बाजू में			

योग - 2,84,000/-

**“मंदिर की चल—अचल संपत्तियों की एकत्र विवरण सूची”**

श्री गौर गदाधर राधामाधव मंदिर, निजी द्रस्ट, श्रीगुरुधाम भूतेश्वर पथ, सागर, म.प्र., भगतसिंह वार्ड, सागर के पास चल—अचल संपत्ति की अनुमानित कीमत स्टाक रजिस्टर के अनुसार निम्न लिखी गई है। स्टाक रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति साथ में संलग्न है :—

1.	श्री राजमंदिर में सामग्री आदि का मूल्य—	पृष्ठ 1 से एवं 2 से	973400.00 रुपये 118970.00 रुपये
2.	लकड़ी, लोहा, बिजली, आदि सामान का मूल्य	पृष्ठ 3 से पृष्ठ 4 से	19602000.00 रुपये 133000.00 रुपये
3.	रसोई के बर्तन आदि सामान का मूल्य	पृष्ठ 4 से पृष्ठ 5 से	79850.00 रुपये 88000.00 रुपये
4.	वस्त्र आदि का मूल्य	पृष्ठ 5 से	284000.00 रुपये
5.	राजमंदिर में पृष्ठ 2 का शेष	पृष्ठ 6 से	117500.00 रुपये
कुल योग—			21396720.00 रुपये

संलग्न प्रपत्र 6 दिनांक 31—03—2020

**नाम वस्तु**

क्रमांक	राजमंदिर में पृ. 2 का शेष	प्रारंभिक स्टॉक	अनुमानित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पेंडिल सोना 5.660 ग्राम	1	22000/-
2.	पेंडिल सोना 3.100 ग्राम	2	12000/-
3.	गोंडिल सोना 6.320 ग्राम	3	24000/-
4.	मुकुट राधाकृष्ण चांदी 2.20 ग्राम	2	11000/-

5.	कटोरी चांदी की छोटी 50 ग्राम	1	2250/-
6.	छत्र बड़ा	6	18000/-
7.	करथनी चांदी	1	12000/-
8.	बेन्दी सोने की राधारानी	1	7500/-
9.	नथ सोने की	1	6500/-
10.	पायल चांदी की 1 जोड़ी	नग 2	2250/-
			योग— 117500/-

राजाराम सिंह सचिव

श्री गौर गदाधर राधा माधव मंदिर

पवन बारिया,

अनुविभागीय अधिकारी.

(G-545)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 31 अगस्त, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2021-988.-रानी दुर्गावती महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गौरज्ञामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 722, दिनांक 19 दिसम्बर 1997 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-133, दिनांक 23 जनवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रानी दुर्गावती महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गौरज्ञामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 722, दिनांक 19 दिसम्बर 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2021-990.-जाग्रति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., डोंगर सलैया विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1145, दिनांक 27 अगस्त 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1535, दिनांक 20 अगस्त 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जाग्रति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., डोंगर सलैया, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1145, दिनांक 27 अगस्त 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—991.—मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मेनाई धोनाई विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1470, दिनांक 20 जनवरी 2014 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—764, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मेनाई धोनाई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1470, दिनांक 20 जनवरी 2014 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—992.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजरंग वार्ड, गढ़कोटा विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1294, दिनांक 01 मार्च 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—863, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजरंग वार्ड, गढ़कोटा विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1294, दिनांक 01 मार्च 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—993.—कालियानाथ बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी कलां, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 18 फरवरी 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—854, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कालियानाथ बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी कलां, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 18 फरवरी 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—994.—संस्कार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गांधी वार्ड गढ़ाकोटा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1267, दिनांक 04 फरवरी 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—832, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संस्कार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गांधी वार्ड गढ़ाकोटा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1267, दिनांक 04 फरवरी 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—995.—अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरादेव 42 अम्बेडकर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1318, दिनांक 18 जुलाई 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—211, दिनांक 11 फरवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरादेव 42 अम्बेडकर वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1318, दिनांक 18 जुलाई 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—996.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कर्पुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1295, दिनांक 18 मार्च 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—200, दिनांक 11 फरवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कर्पुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1295, दिनांक 18 मार्च 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—997.—चर्म शिल्प सहकारी समिति मर्या., लालकुर्ती बाजार केन्ट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 730, दिनांक 19 मार्च 1998 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—729, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चर्म शिल्प सहकारी समिति मर्या., लालकुर्ती बाजार केन्ट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 730, दिनांक 19 मार्च 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—998.—वर्धमान महिला बीड़ी श्रमिक सहकारी समिति मर्या., ढाना वार्ड क्र. 1 एवं 2, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1331, दिनांक 25 अगस्त 2009 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—843, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वर्धमान महिला बीड़ी श्रमिक सहकारी समिति मर्या., ढाना वार्ड क्र. 1 एवं 2, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1331, दिनांक 25 अगस्त 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—999.—अल्मदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 24 जून 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—197, दिनांक 11 फरवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अल्मदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 24 जून 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1000.—माँ दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सेमराबाग (लालेपुर), विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1336, दिनांक 18 मई 2010 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—845, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सेमराबाग (लालेपुर), विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1336, दिनांक 18 मई 2010 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1001.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1256, दिनांक 18 जनवरी 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—816, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1256, दिनांक 18 जनवरी 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1002.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अब्दुल हमीद वार्ड खुररई, विकासखण्ड खुररई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 01 दिसम्बर 1960 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—206, दिनांक 11 फरवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुररई द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अब्दुल हमीद वार्ड खुररई, विकासखण्ड खुररई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 01 दिसम्बर 1960 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1003.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रारौन, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1305, दिनांक 01 मई 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—809, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रारौन, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1305, दिनांक 01 मई 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1004.—डाक विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 775, दिनांक 20 अप्रैल 2001 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—741, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डाक विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 775, दिनांक 20 अप्रैल 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1005.—रामदेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वनहट, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1163, दिनांक 12 जनवरी 2005 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—790, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रामदेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वनहट, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1163, दिनांक 12 जनवरी 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1006.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरोदिया नोनागिर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 10 अक्टूबर 2007 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 204, दिनांक 11 फरवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरोदिया नोनागिर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 10 अक्टूबर 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1007.—ओम सार्विराम ईधन सहकारी समिति मर्या., सदर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 25 मई 2006 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 756, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री एम. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ओम सार्विराम ईधन सहकारी समिति मर्या., सदर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 25 मई 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1008.—ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., पगारा पोस्ट सदर केन्ट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1471, दिनांक 05 फरवरी 2014 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—763, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री एम. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., पगारा पोस्ट सदर केन्ट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1471, दिनांक 05 फरवरी 2014 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2021-1009.—प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मूड़रा (जरुआखेड़ा), विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 713, दिनांक 17 अक्टूबर 1997 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 2855, दिनांक 12 सितम्बर 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राहतगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मूड़रा (जरुआखेड़ा), विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 713, दिनांक 17 अक्टूबर 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2021-1010.—अनुसूचित जाति महिला विकास सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1100, दिनांक 10 मार्च 2004 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 142, दिनांक 23 जनवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राहतगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुसूचित जाति महिला विकास सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1100, दिनांक 10 मार्च 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2021-1011.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जलंधर, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1525, दिनांक 28 जुलाई 2015 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन-635, दिनांक 13 अप्रैल 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राहतगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जलंधर, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1525, दिनांक 28 जुलाई 2015 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1012.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैजरामाफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1383, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 906, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राहतगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैजरामाफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1383, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1013.—हरसिद्धि माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अगरिया, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 13 सितम्बर 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 798, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जैसीनगर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरसिद्धि माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अगरिया, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 13 सितम्बर 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1014.—भाग्योदय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कनेरागाँड़, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1070, दिनांक 11 सितम्बर 2003 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—781, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जैसीनगर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भाग्योदय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कनेरागाँड़, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1070, दिनांक 11 सितम्बर 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को गेरे हरताक्षर एवं कार्यालयीन पदगुद्रा रो जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1015.—प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खुशीपुरा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 785, दिनांक 14 अगस्त 2001 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 1614, दिनांक 08 जुलाई 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खुशीपुरा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 785, दिनांक 14 अगस्त 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1016.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरागाँड़, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1307, दिनांक 31 मई 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 209, दिनांक 11 फरवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि.ख. जैसीनगर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरागाँड़, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1307, दिनांक 31 मई 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1017.—ममता महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., उल्दन, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1090, दिनांक 11 फरवरी 2004 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 1618, दिनांक 20 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि.ख. बण्डा द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ममता महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., उल्दन, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1090, दिनांक 11 फरवरी 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1018.—इंदिरा गांधी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कंदवा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 08 जुलाई 1997 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 1954, दिनांक 28 सितम्बर 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बण्डा द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इंदिरा गांधी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कंदवा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 08 जुलाई 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1019.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा—सानौधा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1001, दिनांक 26 दिसम्बर 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 797, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा—सानौधा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1001, दिनांक 26 दिसम्बर 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1020.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केवलारी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 157, दिनांक 27 जुलाई 2011 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—907, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जैसीनगर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केवलारी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 157, दिनांक 27 जुलाई 2011 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1021.—श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 517, दिनांक 21 अगस्त 1991 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 138, दिनांक 23 जनवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जैसीनगर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 517, दिनांक 21 अगस्त 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1022.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बामोरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 146, दिनांक 09 अगस्त 2007 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 2165, दिनांक 31 अगस्त 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री एम. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बामोरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 146, दिनांक 09 अगस्त 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1023.—सी. जे. पटेल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 99, दिनांक 30 अगस्त 1989 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—1953, दिनांक 28 सितम्बर 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री एम. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सी. जे. पटेल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 99, दिनांक 30 अगस्त 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1024.—श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गंगाराम, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 25 अगस्त 2007 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 219, दिनांक 11 फरवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री सी. एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गंगाराम, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 25 अगस्त 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1025.—श्री ठाकुर बाबा सामूहिक कृषि सहकारी समिति सीमित मकरोनियां मुहाल, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 211, दिनांक 10 जून 1970 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 2050, दिनांक 16 अप्रैल 1974 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। श्री सी. एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री ठाकुर बाबा सामूहिक कृषि सहकारी समिति सीमित मकरोनियां मुहाल, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 211, दिनांक 10 जून 1970 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1026.—पं. दीनदयाल उपाध्याय विपणन सहकारी समिति मर्या., गढ़कोटा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 141, दिनांक 30 जून 2005 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—2829, दिनांक 12 सितम्बर 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पं. दीनदयाल उपाध्याय विपणन सहकारी समिति मर्या., गढ़कोटा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 141, दिनांक 30 जून 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को गेरे हरताक्षर एवं कार्यालयीन पदगुद्रा रो जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1027.—श्री गणेश कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 24 अक्टूबर 2006 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 143, दिनांक 23 जनवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गणेश कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 24 अक्टूबर 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1028.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सूरजपुरा (ग्राम पंचायत केकरा), विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1296, दिनांक 29 मार्च 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 864, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सूरजपुरा (ग्राम पंचायत केकरा), विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1296, दिनांक 29 मार्च 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1029.—नवलऊ दुग्ध समिति सहकारी मर्या., नवलऊ, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1384, दिनांक 09 दिसम्बर 2011 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—900, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवलऊ दुग्ध समिति सहकारी मर्या., नवलऊ, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1384, दिनांक 09 दिसम्बर 2011 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1030.—मझगुवां दुर्घ समिति सहकारी मर्या., मझगुवां, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1414, दिनांक 03 फरवरी 2012 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 897, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मझगुवां दुर्घ समिति सहकारी मर्या., मझगुवां, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1414, दिनांक 03 फरवरी 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2021—1031.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गौरज्ञामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 873, दिनांक 16 जुलाई 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन 1527, दिनांक 10 अगस्त 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गौरज्ञामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 873, दिनांक 16 जुलाई 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

(G-546)

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2021—आश्विन 2, शक 1943

---

### भाग 3 (2)

---

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)